शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 25 – 2 मई 2022 मूल्य पांच रूपए

जयराम सरकार के 5 अधिकारियों के पास दिल्ली और शिमला में एक साथ मूल पोस्टिंग कैसे

मोक्टा के पत्र से उठा मुद्दा

शिमला/शैल। जब प्रशासन में शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी अपने स्वार्थों के लिये स्थापित नियमों को अंगूठा दिखाते हुये लाभ लेना शुरू कर देते हैं और इस लाभ को राजनीतिक नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तब स्थिति को अराजकता का नाम दिया जाता है। आज हिमाचल का प्रशासन लगातार इस अराजकता का शिकार बनता जा रहा है। इस अराजकता में जनहित गौण हो जाता है अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। यह एक सामान्य समझ का पक्ष है कि एक व्यक्ति एक समय में दो अलग स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता है। लेकिन जयराम सरकार में पांच ऐसे बड़े आई ए एस अधिकारी हैं जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली और शिमला में 17 सेवाएं दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने इन्हें दोनों जगहों पर मूल पोस्टिंग्स दे रखी है। और इन पोस्टिंग्स के कारण इन लोगों ने शिमला और दिल्ली दोनों जगहों पर सरकारी आवासों का आवंटन ले रखा है। यह नियुक्तियां कार्मिक विभाग द्वारा की जाती हैं। कार्मिक विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। फिर आई ए एस अधिकारी को तबादले और नियुक्तियां राज्यपाल के नाम से की जाती है। उनमें यह लिखा जाता है की ''The Governor is pleased to order'' इसका अर्थ है कि राज्यपाल के संज्ञान में भी यहां सब रहता है।

अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों से जुड़े नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसके तहत किसी अधिकारी को तो अलग – अलग स्थानों पर मूल पोस्टिंग दी जा सके। पिछले दिनों एक आई ए एस अधिकारी की मूल नियुक्ति पर्यावरण विभाग के निदेशक के तौर पर करके उसे सचिवालय में अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया और अधिकारी सचिवालय में ही बैठता था। सचिवालय में तैनाती पर विशेष वेतन का लाभ भी मिलता है। लेकिन इस अधिकारी मोक्टा को यह लाभ इसलिये नहीं दिया जा सका क्योंकि उसकी मूल पोस्टिंग पर्यावरण विभाग में थी। इस पर यह प्रश्न उठा कि जब अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह, प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव शुभाशीष पांडे, रजनीश शर्मा और भरत खेड़ा दिल्ली में मूल पोस्टिंग पर तैनात होकर शिमला सचिवालय के सारे लाभ ले रहे तो फिर मोक्टा को यह लाभ क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन नियम इसकी अनुमति नहीं देता है इस पर मोक्टा की मूल पोस्टिंग सचिवालय में दिखाकर इस समस्या का हल निकाला गया। लेकिन इसी हल के साथ यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो अधिकारी शिमला और दिल्ली में एक साथ मूल पोस्टिंग दिखाकर सरकारी आवासों का लाभ ले रहे हैं उनके मामले को कैसे निपटाया जाये।

नियमों के जानकारों के मुताबिक इन पांचों अधिकारियों ने अवश्य लाभ लेने के लिये दोनों जगह पोस्टिंग को लेकर अलग – अलग दस्तावेज सौंप रखे हैं। क्योंकि जब एक आदमी एक वेतन में एक ही स्थान पर उपलब्ध रह सकता है तो फिर उसी समय में उसकी उपस्थिति दूसरे स्थान पर कैसे संभव हो सकती है। नियमानुसार एक व्यक्ति एक साथ दो अलग – अलग स्थानों पर स्थित सरकारी आवास का लाभ कैसे ले सकता है। शुभाशीष पांडे के पास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव का प्रभार है साथ ही सचिवालय प्रशासन सामान्य प्रशासन और लोक संपर्क जैसे विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसा अधिकारी दिल्ली में मूल पोस्टिंग लेकर शिमला में इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है। स्वभाविक है कि कहीं तो जानबूझकर नियमों के विरुद्ध कार्य कर रखा है। नियमों के अनुसार इन लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिये। यह देखना दिलचस्प होगा कि विजिलैन्स इस पर मामला

शेष पृष्ठ 8 पर.....

प्रदेश में बढ़ी बेरोजगारी देश के टॉप छः राज्यों में आया नाम

- सरकार ने 2019 की उद्योग निवेश नीति में किया संशोधन
- शिक्षा के अध्यापकों और पशुपालन में डॉक्टरों के पद खाली
- 2014 में स्वीकृत सीमेंट प्लांट क्यों नहीं लग पाये

शिमला/शैल। हिमाचल में बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है इसका खुलासा भारत सरकार की सी एम आई ई वी रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की बेरोजगारी दर 12.1% पहुंच गयी है और हिमाचल बेरोजगारी में देश के टॉप 10 राज्यों हरियाणा, झारखंड, जम्मू – कश्मीर, राजस्थान और त्रिपुरा की सूची में शामिल हो गया है। मार्च 2022 में जारी इस रिपोर्ट पर आप प्रवक्ता गौरव शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जयराम सरकार में नौकरियां सृजित करने की बजाये करीब 2100 पदों को ही समाप्त कर दिया गया है और कई पदों को डाईगकॉर्डर में डाल दिया है। यह सवाल उठाया है कि प्रदेश के जिस बिजली बोर्ड में 1990 में 42000 कर्मचारी थे वहां अब केवल 17000 कर्मचारी रह गये हैं। 2018 – 19 और 20 में जो कर्मचारी भर्ती प्रतिक्रियाएं शुरू की गयी थी वह आज तक किसी न किसी कारण से पूरी नहीं हो पायी हैं। भर्तियों की प्रतिक्रियाएं शुरू करके केवल बेरोजगार युवाओं को भ्रम में रखा जा रहा है।

बेरोजगारी की स्थिति का सच इससे भी सामने आ जाता है कि जयराम सरकार ने अगस्त 2019 में जो नई औद्योगिक नीति लाकर इन्वेस्टर मीट के बड़े – बड़े आयोजन करके प्रदेश में एक लाख करोड़ का निवेश आने और हजारों लोगों को रोजगार मिलने का जो दावा किया था अब उस दावे का खोखलापन अप्रैल 2022 में उस नीति में संशोधन करके सामने आ गया है। सरकार ने इस नीति में संशोधन करते हुए निवेश के मानक पर उद्योगों को तीन श्रेणियों ए, बी और सी में बांट दिया है। 200 करोड़ का निवेश और 200 हिमाचलीयों को रोजगार देने वाले उद्योगों को ए, 150 करोड़ निवेश 150 रोजगार बी और 100 करोड का निवेश तथा 100 हिमाचलीयों को रोजगार देने वाले उद्योगों को सी श्रेणी में रखा गया है। इसी के अनुसार उद्योगों को सुविधाएं देने की घोषणा की गयी है। यह उद्योग नीति 16 अगस्त 2019 को अधिसूचित की गयी थी जिसे अब कार्यकाल अंतिम वर्ष में चुनावों से कुछ माह पहले संशोधित करने से स्पष्ट हो जाता है कि इस नीति के इतने बड़े स्तर पर हुये आयोजन और प्रचार – प्रसार के परिणाम उल्लेख लायक भी नहीं रहे हैं। अन्यथा

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल का स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर बल

एनआईटी में विद्यार्थी विज्ञान मंथन के पारितोषिक वितरण समारोह में हुए शामिल

शिमला/शैल। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर बल देते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में मील पत्थर साबित हो सकती है।

राज्यपाल हमीरपुर जिले के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आजादी का अमृत

महोत्सव और एक भारत, श्रेष्ठ भारत अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान भारती द्वारा आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन-2021-22 के पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्यातिथि के रुप में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारतीय परम्परा व जीवनशैली विज्ञान पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि यहां की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता में विज्ञान का समावेश देखने को मिलता था। लेकिन, विदेशी आक्रांताओं ने देश की इस महान संस्कृति और यहां की विज्ञान की परंपराओं को प्रभावित किया। दुर्भाग्यवश, हमने भी सभ्यता की महान परंपराओं को ही भुला दिया तथा पश्चिम के विचार को ही श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और स्वदेशी विज्ञान के गौरव की पुनर्स्थापना करना हमारा कर्तव्य है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मील पत्थर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि महान वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही मायनों में हमारी मिट्टी से जुड़ी है और यह नीति हमारे शैक्षणिक ढांचे को वैचारिक गुलामी के चंगुल से आजाद करने की दिशा में गंभीर प्रयास है। इसमें भारतीय आचार, विचार और संस्कारों का बेहतरीन समावेश किया गया है। उन्होंने सभी शिक्षाविदों और विद्यार्थियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गहन अध्ययन करने का आहवान करते हुए कहा कि इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए वे सुझाव भी दें।

आर्लेकर ने कहा कि इस नीति में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री हासिल करना और उस डिग्री के आधार पर केवल नौकरी ढूंढना ही नहीं होना चाहिए बल्कि नौकरी ढूंढने के बजाय स्वयं रोजगार प्रदाता बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राचीनकाल की वैज्ञानिक परंपराओं के अलावा आधुनिक विज्ञान में भी भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।

उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान भारती के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा विकसित करने तथा उन्हें भारतीय विज्ञान की समृद्ध परंपराओं से अवगत करवाने के लिए इस संस्था ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी पहल की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छठी से 11वीं कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छा मंच मिल रहा है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने वर्ष 2021-22 के विजेताओं को विद्यार्थी विज्ञान मंथन पुरस्कार प्रदान किए।

इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रो. वीर सिंह रांगड़ा ने भारतीय विज्ञान के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ.एच.एन. सूर्यवंशी ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए वीवीएम पुरस्कार की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय विज्ञान भारती के प्रदेश महामंत्री डॉ. शशि धीमान ने वीवीएम कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के चयनित 18 बच्चों को आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किए जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण रामदास ने विज्ञान भारती के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से अवगत करवाया। राष्ट्रीय विज्ञान भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अश्वनी राणा ने राज्यपाल, शिक्षकों सहित अन्य अतिथियों व विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए विज्ञान भारती के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

हमीरपुर की उपायुक्त देबश्वेता बनिक, पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने शूलिनी विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग के लिए बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शूलिनी

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. पी. के. खोंसला और अन्य अधिकारियों ने भेंट की। राज्यपाल ने टाईम्स हायर एजुकेशन इम्पेक्ट रैंकिंग 2022 में सर्वोच्च 200 वैश्विक विश्वविद्यालयों में स्थान पाने के लिए शूलिनी विश्वविद्यालय प्रबन्धन को बधाई दी।

उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी उपलब्धियां हासिल करता रहेगा।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी विश्वविद्यालयों को शोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है और यह प्रसन्नता का विषय है कि शूलिनी विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है।

इससे पूर्व, विश्वविद्यालय प्रबन्धन ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय ने टाईम्स हायर एजुकेशन इम्पेक्ट रैंकिंग में 101-200 वर्ग में रैंक प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में भारत में यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। यह वहन योग्य एवं स्वच्छ ऊर्जा के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्वविद्यालय ने पानी के उपयोग और देखभाल श्रेणी में छठा स्थान प्राप्त किया है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता संगठन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता संगठन द्वारा जल शक्ति विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटर के साथ जल शक्ति भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन व प्रमुख अभियंता इंजीनियर संजीव कौल ने की।

मुख्य अभियंता व राज्य स्वच्छता एवम् पेयजल संगठन के निदेशक ई. जोगिंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौता ज्ञापन में तीन पक्ष होंगे, जिसमें पहला पक्ष प्रधान ग्राम पंचायत, दूसरा पक्ष सचिव ग्राम जल एवम् स्वच्छता समिति और तीसरा पक्ष प्रदेश जल शक्ति विभाग होगा। इस समझौता ज्ञापन में तीनों पक्षों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित किया जाएगा, ताकि वे एक साथ साझेदार के रूप में काम कर सकें।

उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग जल जीवन मिशन हर घर जल, पानी समितियों के गठन, ग्राम कार्य योजना, जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने, जल गुणवत्ता परीक्षण आदि मिशन के सभी घटकों में देश में अग्रणी स्थान पर है। राज्य में जल शक्ति विभाग मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण समुदायों को बेहतर पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने और जलापूर्ति एवं स्वच्छता सेवा वितरण के विकेंद्रीकरण को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस मिशन का कार्यान्वयन समुदाय के हाथों में है, इसको लागू करने के लिए गांव के सभी सदस्यों का समन्वय एवं सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जल पाइप लाइन, जल संचयन, प्रचालन और रख-रखाव के मार्ग पर निर्णय स्वयं लोगों द्वारा लिया जाता है। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कार्यक्रम में मुख्य अभियंता मंडी ई. धर्मेंद्र गिल, मुख्य अभियंता डिज़ाइन ई. पी. के. शर्मा, मुख्य अभियंता साउथ ज़ोन ई. अंजू शर्मा व विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे।

सुभासीष पन्डा ने जीएसटी एडवांस मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव

सुभासीष पन्डा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तीन दिवसीय एडवांस मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रधान सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीएसटी कार्यान्वयन की विभिन्न चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स को सशक्त करेगा और कर अधिकारियों की सीखने की क्षमता में तेजी लायेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी राजस्व की उत्कृष्ट वृद्धि से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रशिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का बखूबी पता चलता है। प्रधान सचिव ने लक्ष्य से अधिक कर संग्रहण पर विभाग को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि विभाग शीघ्र ही कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार जीएसटी संग्रहण में वृद्धि करने के लिए विभाग की भविष्योन्मुखी पहल के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग ने वर्ष 2021-22 में वार्षिक लक्ष्य से लगभग 248 करोड़ रुपये अधिक जीएसटी के संग्रह किया, जो कि लगभग 4390 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

पुलिस विभाग में नए भर्ती प्रशिक्षुओं के लिए 4 जुलाई से आरम्भ होगा प्रशिक्षण

शिमला/शैल। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। इसके उपरांत चिकित्सीय जांच तथा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नये भर्ती जवानों के लिए प्रशिक्षण शुरू करने की संभावित तिथि 4 जुलाई, 2022 है और बड़ी संख्या में नई भर्तियों के कारण भर्ती प्रशिक्षण कोर्स एक साथ तीन केन्द्रों में संचालित किए जाएंगे। जिला कांगड़ा के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह में सामान्य पुरूष और महिला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के अन्तर्गत भर्ती प्रशिक्षुओं को जिला ऊना की प्रथम भारतीय आरक्षित वाहिनी बनगढ़ तथा चालक कैडर के अन्तर्गत भर्ती प्रशिक्षुओं को जिला हमीरपुर की चतुर्थ भारतीय आरक्षित वाहिनी जंगलबैरी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

यह सभी प्रशिक्षण केन्द्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं और नए भर्ती प्रशिक्षुओं को यहां आधुनिक ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

रज्जू मार्गों के विकास के लिए एनएचएलएमएल और आरटीडीसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन समाधान के रूप में रज्जू मार्गो के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबन्धन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और रज्जू मार्ग एवं तीव्र परिवहन प्रणाली विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी) हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि आरम्भ में कांगड़ा, कुल्लू, चम्बा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सात रज्जू मार्ग परियोजनाओं की सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) रिपोर्ट बनाने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को यह भी अवगत करवाया कि शिमला-मटौर सड़क, पठानकोट-चक्की-मंडी सड़क और चक्की-मंडी-मनाली सड़क पर कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की शीघ्र आवश्यकता है।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई नौ उच्च प्राथमिकता वाली सड़कों की अधिसूचना शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय के पास लम्बित विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुमोदन के लिए आग्रह किया ताकि इनका कार्य शीघ्र सौंपा जा सके।

ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने पावंटा-लाल ढांग-राजवन -शिलाई -रोहडू सड़क पर अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था का मामला उठाया और कहा कि इससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने चर्चा के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।

प्रधान आवासीय आयुक्त एस. के. सिंगला मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य

न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन का शुभारम्भ किया और उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन देश के नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने के प्रयासों के प्रभावी समन्वय के लिए आयोजित किया जाता है। एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका इस दिशा में प्रयासों के तालमेल के लिए साझा आधार खोजने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा और प्रधान सचिव विधि राजीव भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार एचआरटीसी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धः बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाये गये

कदमों और निगम की कार्यप्रणाली में किये गये विभिन्न नवोमेशी प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एचआरटीसी को सशक्त बनाने के लिए गत एक वर्ष के दौरान 673 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के कल्याण व उनकी लम्बित मांगों को पूर्ण करने के लिए प्रबंधन द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रबन्धन को एचआरटीसी के पेंशनरों को हर माह के प्रथम सप्ताह में पेंशन तथा कर्मचारियों को वेतन समयबद्ध प्रदान करने के निर्देश दिए।

बिक्रम सिंह ने कहा कि एचआरटीसी के पेंशनरों व कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाभ शीघ्र ही प्रदान कर दिए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न वर्गो की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान एचआरटीसी में सबसे अधिक भर्तियां हुई हैं तथा पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। 632 पीस मील वर्करों को अनुबन्ध पर लाया गया, 187 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई तथा 114 पात्र लोगों को करूणामूल्क आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

उन्होंने एचआरटीसी प्रबन्धन के कर्मचारियों को व्यवहारिक आधार पर ओवरटाईम प्रदान करने तथा इस सम्बन्ध में हर समस्या का समाधान करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी द्वारा बस अड्डों की मरम्मत तथा अन्य कार्यो के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 10.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्कशाप की री-मॉडलिंग के साथ वहां हर तरह के कलपुर्जो की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे विभिन्न नवोमेश प्रयासों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।

निगम के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अनेक पहल की गई है। उन्होंने कर्मचारी कल्याण के लिए उठाये गए विभिन्न कदमों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।

बैठक में निगम के कार्यकारी निदेशक भूपेन्द्र अत्री, वरिष्ठ अधिकारी, हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के राज्य अध्यक्ष प्यार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सुभाष वर्मा तथा संगठन के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय मंत्री से ऊना में विद्युत वाहन विनिर्माण पार्क के लिए सहयोग का आग्रहःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद केन्द्र खोलने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन 11 खरीद केन्द्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद की जाएगी।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से ऊना में विद्युत वाहन विनिर्माण पार्क के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने कुल्लू के लिए स्वीकृत बुनकर केंद्र को कार्यशील बनाने के लिए तेजी से कार्य किया है। उन्होंने इसके लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे में बद्दी नोड स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए मंत्रालय की सहायता महत्त्वपूर्ण होगी।

केन्द्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने और इस मामले में तीव्र कार्यवाही करने को कहा।

शहरी विकास मंत्री ने शिमला स्मार्ट सिटी की वेबसाइट का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला स्मार्ट सिटी की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वेबसाइट https://shimlasmartcity.com/ के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस वेबसाइट में पानी के बिल का गणक, भवन योजना अनुमोदन, पानी के बिल, गारबेज बिल अदायगी, पट्टा किराया भुगतान, सम्पत्ति कर अदायगी, बिजली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन और कैनोपी के लिए अनुमति सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से शिमला स्मार्ट सिटी द्वारा विभिन्न घटकों के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने और सेवाओं के एकीकरण करने के निर्देश दिए।

मनरेगा के सामग्री घटक व प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत प्रदेश को वर्ष 2022-23 के लिए 316.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारीःवीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के सामग्री घटक व प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत प्रदेश को वर्ष 2022-23 के लिए 316.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि प्राप्त होने से मनरेगा के कार्यो में गति आयेगी और लम्बित देनदारियों का निपटारा भी किया जा सकेगा।

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत बेहतर कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण विकास तथा आर्थिकी के उत्थान में यह उपयोगी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर कोरोना काल में मनरेगा ग्रामीण आर्थिकी के लिए सम्बल बनी है और इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अन्तर्गत 330 लाख कार्य दिवसों के विरूद्ध 336.10 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 988.95 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 343 लाख लक्षित कार्य दिवसों के विपरीत 370.87 लाख कार्य दिवस अर्जित किये गये तथा 1091.31 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अन्तर्गत 6.36 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2021-22 में 7.07 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 75 हजार 814 कार्य पूर्ण किए गये तथा वर्ष 2021-22 में 80 हजार 957 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

बह्माण्ड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर निहित हैं और ये हम ही हैं जो अपनी आखों पर पट्टी बांधकर अंधकार होने का रोना रोते हैं!
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या महंगाई और बेरोजगारी प्राथमिकताएं नहीं है

अभी कमर्शियल रसोई गैस के दामों में फिर बढ़ौतरी हुई है। इसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। इस महंगाई के साथ ही बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी मार्च में आयी सी एम आई ई की रिपोर्ट से यह सामने आ चुका है। वह सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान विनिवेश के नाम पर निजी क्षेत्र के हवाले हो चुके हैं। जिनमें रोजगार के अवसर बढ़ने भी थे और भरे भी जाने थे। अब स्थिति यह हो गयी है कि सेना में भी कुछ अरसे से भर्ती बंद है। सेना में इस समय शायद एक लाख बाईस हजार से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भर्ती नहीं हो रही है। जबकि सैनिक स्कूल प्राइवेट सैक्टर को भी दे रखे हैं और उसमें आर एस एस का नाम प्रमुख है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार का ध्यान जाना शायद प्राथमिकता नहीं रह गया है। लेकिन इसी के साथ जब हिंसा और कोरोना का भी बढ़ना शुरू हो जाये तो सारे परिदृश्य को एक साथ जोड़ कर देखने से जो तस्वीर उभरती है वह किसी के लिए भी भयावह हो सकती है। जातीय और धार्मिक आधारों पर उभरी हिंसा जब एक वैचारिकता का चोला ओढ़ लेती है तब उस पर नियंत्रण कर पाना असंभव हो जाता है।

इस बार रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसरों पर उभरी हिंसा जिस तरह से जहांगीरपुरी से अलवर तक ट्रैवल कर गयी वह अपने में बहुत कुछ संदेश दे जाती है। क्योंकि इन दोनों घटनाओं में व्यवहारिक रूप से कोई संबंध नहीं था फिर एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 ने इसमें संबंध जोड़ा वह एक गंभीर सवाल बन जाता है। इसी तर्ज पर अयोध्या में भी कुछ नियोजित किया जा रहा था जिसे पुलिस ने समय रहते गिरफ्तारियां करके रोक लिया। इस हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिये जिस तरह से बुलडोजर चलाने का प्रयास किया गया उससे एक अलग ही तस्वीर उभरती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस बुलडोजर न्याय पर सवाल उठाते हुए रोक लगाई तब से सोशल मीडिया के कुछ मंचों पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की बहस छेड़ दी गयी है वह अपने में बहुत घातक प्रमाणित होगी। क्योंकि इस बहस में नियम कानून और संविधान की जगह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का तर्क बढ़ाया जा रहा है। देश के संविधान के स्थान पर बहुसंख्यक की मान्यताओं को अधिमान देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस बहस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा है उसमें यहां तक कहा गया कि ''यह सुप्रीम कोर्ट है या अराजकता फैलाने और भारतवर्ष का इस्लामीकरण करने का एक जरिया'' हिमाचल हैवन साइट पर एक ओंकार सिंह की यह पोस्ट अपने में जो कुछ कह जाती है उससे यह संकेत उभरते हैं कि संविधान के वर्तमान स्वरूप में एक जबरदस्त बदलाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। इस पोस्ट से दिसंबर 2018 में मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप रंजन सेन के ''हिंदू राष्ट्र'' के फैसले की याद ताजा हो जाती है। इसी फैसले के बाद संघ प्रमुख डॉ. भागवत के नाम से ''भारत का नया संविधान'' के कुछ अंश वायरल होकर बाहर आये थे। इस कथित संविधान के वायरल हुये मसौदे पर न तो भारत सरकार और न ही संघ मुख्यालय से कोई प्रतिक्रियाएं नही आयी हैं। फिर अभी हरिद्वार में जब संघ प्रमुख ने देश को पन्द्रह वर्षो में अखण्ड भारत बनाने का संकल्प लिया और स्पष्ट कहा कि इसमें आने वाली हर बाधा को नष्ट कर दिया जायेगा तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसी संकल्प की घोषणा के बाद राम नवमी और हनुमान जयंती के अवसरों पर संयोगवश हिंसक वातावरण देखने को मिला है। पंजाब के पटियाला में भी शिव सैनिकों और कथित खालिस्तान समर्थकों में झगड़ा इसी के बाद सामने आया है।

इस कथित धार्मिक उन्माद में प्रशासन की भूमिका तटस्थता की होती जा रही है। जिसका अर्थ है कि इन तत्वों को अपरोक्ष में राजनीतिक संरक्षण हासिल है। राजनीतिक दल इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जनता को इस हिंसा के साथ ही फिर से कोरोना के प्रकोप का भय दिखाया जाने लगा है। इसी भय और चुप्पी के कारण महंगाई और बेरोजगारी जैसे आर्थिक सवाल गौण होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक हित के आये मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटा नहीं रहा है। जबकि ईवीएम, राफेल और पेगासैस जैसे संवेदनशील मामलों को तुरंत निपटाने की आवश्यकता है। इस सारे परिदृश्य को एक साथ रख कर देखने से यह आवश्यक हो जाता है कि इस पर सार्वजनिक बहस शुरू की जाये।

सांप्रदायिकता की राजनीति हमें विकास से भटकाने की साजिश

गौतम चौधरी

हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, विपक्षी दलों की अल्पसंख्यक वोट पर निर्भरता और इसे निर्णायक कारक मानने के कारण योगी सरकार एक बार फिर से वापस आ गयी। दूसरी ओर, जिस दल को बहुमत मिला है, उसने अपने चुनाव प्रचार में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की विभाजनकारी राजनीति को बहुत महत्व नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने आर्थिक विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्थानीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता आदि विषय को मुद्दा बनया और चुनाव में बढ़त हासिल कर ली। इसलिए उन नेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए जो जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, वर्ग आदि जैसे विभाजनकारी मुद्दों पर वोट मांगते रहे हैं। ये मुद्दे अब चलने वाले नहीं हैं। वैसे तत्वों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

संपन्न चुनावों ने प्रदर्शित किया है कि मुस्लिम वोट चुनावों की हार या जीत का निर्धारण नहीं करता है। बल्कि, अब अन्य सामाजिक ताकतें भी बड़े पैमाने पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने जमीनी स्तर पर सामाजिक संपर्क नेटवर्क का भरपूर उपयोग किया। लोगों को रोजमर्रा की वास्तविकताओं को बताया और अपनी योजनाओं का भरपूर प्रचार किया। इन सामाजिक जुड़ावों में कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य सबसे कमजोर आबादी को आर्थिक ताकत प्रदान करना है।

मुस्लिम चुनावी राजनीति और इसके मतदान की प्रवृति पर शोध करने वालों का मत है कि उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग आठ प्रतिशत मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में गया। मुसलमानों में ये कौन लोग हैं, उस पर भी बाकायदा रिपोर्ट आयी है। भाजपा के पक्ष में जाने वाले वोटों की मूल व्याख्या यह है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने पिछले पांच वर्षो के दौरान कई सामाजिक पहलों और कल्याणकारी योजनाओं से हिंदुओं के बराबर ही लाभ प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुसलमानों के बीच सामाजिक विभाजन ने भी काम किया है। माना जाता है कि इस बार पसमांदा वोट भाजपा के पक्ष में स्थानांतरित हो गया। बता दें कि पसमांदा मुसलमान देश की मुस्लिम आबादी का लगभग 80 प्रतिशत हैं। पसमांदा यानी पिछड़े हुए मुसलमान, इस समुदाय के लोग ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे गरीब प्रांतों में रहते हैं। बढ़ई, प्लंबर, कपड़ा बुनकर, लोहार, धुनिया, डफाली और सफाईकर्मी कम वेतन वाले ऐसे व्यवसाय हैं, जिनमें ये लोग शामिल हैं। इधर सैयद, शेख, पठान या मिर्जा और मोगल जैसे उपनामों वाले समुदाय के कुलीन मुस्लिम नेतृत्व के पदों पर हावी हैं। पसमांदा धीरे-धीरे लेकिन लगातार अपने विकास और कल्याणकारी मुद्दों के साथ चुनावी राजनीति में पैर जमा रहे हैं। इसलिए, यह समुदाय भविष्य की मुस्लिम राजनीति के प्रणेता बनकर उभरेंगे। ये समुदाय उत्तरजीवी नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी हिन्दुओं की तरह इन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है। यह समुदाय अपना विकास चाहता है और आगे बढ़े हुए मुसलमानों की बराबरी करना चाहता है। मुस्लिम राजनेताओं को भी इनकी ताकतों का अंदाजा लगा लेना चाहिए। उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता के अपने राजनीतिक दावों में तेजी लानी होगी और इसे राजनीतिक चर्चा में शामिल करना होगा।

भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के बीच के विभाजन से लाभ मिलना स्वाभाविक है। भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दों के साथ ही सामाजिक अभियंत्रण पर भी पूरा ध्यान दिया है। जिस समाज की जितनी संख्या है उसके आधार पर भाजपा प्रतिनिधित्व देने की दिशा में पहल कर रही है। भाजपा की इस राजनीति को विपक्ष यदि नहीं समझ पाया तो फिर भाजपा को हराना कठिन बना रहेगा। सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में शहरी मतदाताओं के बीच यह मुद्दा जबरदस्त चला। इसलिये बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी अल्पसंख्यकवाद पर स्वाभाविक रूप से इस बार भारी पड़ा। यह मुद्दा आगे भी काम करने वाला है। इसलिये विपक्षी दलों को सतर्क हो जाना चाहिए।

प्रदेश में बफर स्टोरेज से पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण को 353.57 करोड़ रुपये स्वीकृत

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और जल स्त्रोतों को लम्बे समय तक कार्यशील बनाये रखने के लिए इस स्त्रोतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है।

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य में सबसे पहले इस योजना को मंडी व कुल्लू जिला में कार्यान्वित किया जायेगा और इसके सार्थक परिणाम आने के पश्चात इसे प्रदेश के बाकि सभी जिलों में लागू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कुल्लू और मण्डी जिले के दूर-दराज क्षेत्रों में बहाव पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग तीन माह के लिए बहाव पेयजल योजनाओं के जल को इकट्ठा किया जायेगा जिसका उपयोग उस समय किया जायेगा, जब स्त्रोत में जल की उलब्धता कम होगी। इसमें बिजली का कोई प्रयोग नहीं किया जायेगा। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा 353.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के तहत मण्डी जिले के 9 खण्डों की 147 योजनाओं व कुल्लू जिले के 5 खण्डों की 110 योजनाओं में बफर स्टोरेज बना कर सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मंडी व कुल्लू जिला में योजना की सफलता के पश्चात राज्य के अन्य जिलों में भी इस योजना को कार्यान्वित किया जायेगा, जिससे पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा।

जल जीवन मिशन के तहत मार्च, 2022 तक भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 2990.10 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और मिशन के तहत राज्य में 8.42 लाख घरों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। जबकि स्वतंत्रता के बाद पिछले 72 वर्षो में कुल 7.63 लाख घरों को नल प्रदान किये गये। राज्य में कुल 17.28 लाख घरों या परिवारों को नल उपलब्ध करवाये जा चुके है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कुल कवरेज और कार्यक्षमता के संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य के प्रदर्शन की सराहना की गयी है।

वर्ष 2019-20 में प्रदेश को 57.15 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 में 221.28 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। योजना के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी जल शक्ति विभाग प्रयासरत है, जिसके लिए राज्य में 60 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जिला स्तर पर स्थापित सभी 14 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से (एनएबीएल) मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा 36 उप-मण्डल स्तरीय प्रयोगशालाओं को भी एनएबीएल से मान्यता मिल गई है। प्रदेश की 83 प्रतिशत प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो चुकी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

प्रत्येक गांव से पांच महिलाओं का चयन करके उनको फील्ड टैस्ट किट से पेयजल जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक 40,090 महिलाओं को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पिछले दो वर्षो के दौरान 61,901 लोगों को जल गुणवत्ता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश की सभी 3,615 पंचायतों को एक-एक फील्ड टैस्ट किट प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सभी 18,150 गांव को यह फील्ड टैस्ट किट दी गई। इसके अतिरिक्त जल गुणवत्ता में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश की सभी प्रयोगशालाओं को आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है, जिनमें न्यूनतम दरों पर जल नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है।

प्रदेश में पिछले दो वर्षो के दौरान कुल 4,47,820 जल नमूनों की जांच की गई जबकि गत वर्ष 2,93,245 पेयजल नमूने प्रयोगशालाओं और 1,37,865 जल सैंपलों का फील्ड टैस्ट किट द्वारा परीक्षण किया गया है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष में भी 3,00,606 जल सैंपलों की जांच प्रयोगशाला और 1,42,734 जल सैंपलों का परीक्षण फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत में उचित और सतत विकास की चुनौतियां

– प्रोफेसर एच.एम.देसरडा –
पारिस्थितिक अर्थशास्त्री एंव महाराष्ट्र योजना आयोग के पूर्व सदस्य
संप्रति – महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय औरंगाबाद में एमरिटस प्रोफेसर

आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है इसका मूल कारण जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि है। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव की अगुवाई भी इसी कारण हुई है। इन गैसों की सघनता से पृथ्वी की जलवायु में भीषण परिवर्तन हो रहे है। वास्तव में इससे पृथ्वी ग्रह और यहां बसर करने वाले प्राणी जगत की सुरक्षा को खतरा है। 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन में इस विषय को वैश्विक एजेंडे के रूप में रखा गया। उससे पूर्व रेचल कार्सन ने 1962 में प्रकाशित अपनी भविष्यदर्शी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में दुनिया को इस अनियंत्रित विकास की कीमत चुकाने और परिणाम भुगतने तथा जीवन आधार व्यवस्था पर होने वाली स्थाई हानि के बारे में चेतावनी दी थी। प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्ण रहने के प्रति उनका आह्वान अत्यधिक बोद्धगम्य था। जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी गंभीर चिंता के विषय बन गये। पिछले 50 वर्षो के दौरान वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिग के प्रभाव और उसके पहलुओं के प्रलेखन पर बल दिया है। यूएनएफसीसीसी की लगातार रिपोर्टो ने तथ्यों को सार्वजनिक प्रक्षेत्र (डोमेन) में रखा है और 2015 में आयोजित पेरिस सम्मेलन में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सहमति बनी है। बहुत खूब कई संकल्प लिये गये मगर कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया।

पिछले कुछ दशकों में यहां कई विनाशकारी आपदायें आयी हैं। भारत में हमने केदारनाथ व कश्मीर में बादल फटने मुंबई में बाढ़ तथा केरल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ का अनुभव किया है। निसंदेह विश्व के औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है मगर हम भी इस दिशा में अपनी बढ़ती हुई हिस्सेदारी और जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। भारत आज ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। जिस विकास मॉडल और उपभोक्तावादी जीवन शैली का हमने पश्चिम से अनुकरण किया है वह बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। संसाधनों की बर्बादी पर आधारित विकास प्रतिमान को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारे पास उपभोग में स्पष्ट असमानतायें हैं और लाखों लोगों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें विकास के उस रास्ते को अपनाना होगा जो प्राकृति समर्थक गरीब समर्थक और नारी समर्थक हो। निसंदेह इससे हमारा अभिप्राय विकास के प्रति विवेक शून्य विरोध से नहीं है बल्कि अंधाधुंध विकास के प्रति विरोध से है। सौभाग्य से हमारे पास पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं। शायद इसीलिए गांधी जी ने कहा था की दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वह परिवर्तन स्वयं करें।।

पारिस्थितिक सभ्यता की ओर

आज मानवता नाजुक दौर से गुजर रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद 300 वर्षो में अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन उपभोग तथा विनिमय पृथ्वी की वहन क्षमता से अधिक है। अतिक्रमण अभूतपूर्व है। एक वर्ष में अभी तक हम पृथ्वी ग्रह के डेढ़ भू-भाग में मौजूद संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। पारिस्थितिकी के निशान बृहदाकार होते जा रहे हैं। इस ग्रह पर बेलगाम विकास के कारण पारिस्थितिकी तंत्र बेहद प्रभावित हुआ है। जैसा कि जेरेड डायमंड ने अपनी पुस्तक के शीर्षक में कहा है कि हमारे जीवन-समर्थन-प्रणाली की पारिस्थितिक नीव पतन के कगार पर है। खैर उस दिन प्रलय हो सकता है। लेकिन अफसोस यह एक कटु सत्य है। सभी संकेतक हमें अविभाजित और अप्रत्यक्ष विकास के विलक्षण परिणामों का स्मरण करवाते हैं। सैन्य उद्योगिक प्रणाली और संरचनाएं पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी और नैतिक रूप से दोषपूर्ण है। शैतानी रूप से हथियारों सैन्य उपकरणों और परमाणु हथियारों के उत्पादन से विश्व के प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो रहा है। न केवल विकसित औद्योगिक राष्ट्र बल्कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे गरीब देश भी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के नाम पर संसाधनों का अत्याधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए गरीबी, भूख और कुपोषण की स्थिति अनिश्चितकाल के लिए बदतर हो रही है।

दुर्भाग्य से आर्थिक वैश्वीकरण के कारण असमानताएं बढ़ी हैं और पारिस्थितिक विध्वंस असहाय जनता को लगातार बर्बाद कर रहा है और इससे मेहनतकश जनता की अजीविका भी नष्ट हो रही है। वित्तीय पूंजी दुनिया को लूट रही है। यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पायेंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही आम जनता की भलाई तथा पृथ्वी ग्रह में स्थिरता सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। सरकार और बाजार के प्रमुख संस्थान और उपकरण अर्थशास्त्र परिस्थितिकी और नैतिकता में सामंजस्य स्थापित करने में अपर्याप्त साबित हुये हैं। इसलिए आज मानवता के सामने एक पारिस्थितिक सभ्यता का निर्माण करने की चुनौती है। इसका अर्थ है पूंजीवाद और समाजवाद बाजार व राज्य/सरकार तथा विकास व वैश्वीकरण से परे जाना। जैसा कि स्टीफन मार्गलिन ने कहा है- विकास, समानता और पारिस्थितिकी की अंतर्निहित समस्याओं के लिए एक नई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। और इस नई अर्थव्यवस्था के लिए नए अर्थशास्त्र की आवश्यकता है। वास्तव में यही समय की मांग है।

जल स्वराज भारत में जल संसाधनों के उचित और सतत विकास के परिपेक्ष में

2019 की गर्मियों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा भारत के कुछ अन्य राज्यों के बड़े हिस्से सूखे की स्थिति के साथ-साथ पीने व घरेलू उपयोग के लिए पानी की भारी कमी से जूझ रहे थे। फसल खराब होने जाने के कारण किसान गंभीर संकट में है, और दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। बार-बार सूखा पड़ने और बाढ़ आने को आमतौर पर या तो प्रकृति की लापरवाही या बादल फटने सहित भारी बारिश को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वैसे तो इसे मौसम चक्र कहा जाता है। यह फिर इंद्रदेव का क्रोध। दीर्घकालीन मौसम संबंधी आंकड़ों के अन्वेष्ण से पता चलता है कि यह सब स्थितियां मानव निर्मित कारकों से उत्पन्न हुई है। वास्तव में यह सार्वजनिक नीतियों की परिस्थितिक तथा जल का सही उपयोग न करने का परिणाम है।

मुख्यता जल संसाधनों के प्रबंधन में उपजे वर्तमान संकट के लिए जल उपयोग परियोजनाओं संबंधी योजना तथा बड़े बांधों के निर्माण के लिए प्रचलित तकनीकी इंजीनियरिंग पद्धति जिम्मेदार है। इस विषय पर हम महाराष्ट्र के उदाहरण के परिपेक्ष्य में देखेंगे की जिस राज्य में 20,000 से अधिक गांव को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था और 50 मिलियन से अधिक लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ा। भारत में लगभग 40% बड़े बांध महाराष्ट्र में हैं। लेकिन राज्य की 82% फ़ीसदी कृषि फसलें शुष्क भूमि या वर्षा आधारित है। विडंबना यह है कि गन्ने की फसल के अंतर्गत आने वाले 4% फसल क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल का 74% भाग उपयोग होता है। यहां तक कि भूजल संसाधन जो कि गांवों और छोटे शहरों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। उसे भी गन्ना, केला, अंगूर आदि जैसे जलगहण फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही राज्य सरंक्षण के माध्यम से उद्योगों और शहरी क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में पानी मिल रहा है। इस प्रकार देखा जाये तो जल उपयोग की प्राथमिकताएं सामाजिक रूप से असंगत और पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर हैं। इसके अलावा कानूनी जल नीति की स्थिति और व्यवहार में व्यापक अंतर है। फल स्वरुप महाराष्ट्र में कृषि, सिंचाई व्यवस्था बद से बदतर और बेअसर हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के राज्य योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए इस शोधकर्ता ने भूमि, जल और बायोमास संसाधनों के समग्र विकास को शामिल करते हुए माइक्रो वाटरशेड विकास की रणनीति तैयार की है। संक्षेप में यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन कार्यक्रम है। जो जल भंडारण की एक विकेंद्रीकृत प्रणाली को जन्म दे सकता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक और सामाजिक जल साक्षरता की आवश्यकता है।

दूसरी राष्ट्रीय गठबंधन सरकार (NDA-2) ने एक नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। जो जल संसाधन योजना नीतियों और वितरण पर नालियों को सुव्यवस्थित करना चाहता है। इस कार्य में सफल होने के लिए एक सामाजिक परिस्थितिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम पूंजी प्रधान बड़े बांधों, मेगा -निर्माण परियोजनाओं की तुलना में सस्ता तीव्र और सुरक्षित है। इस लिए एक एकीकृत तरीके से भूमि, पानी, बायोमास और जैव विविधता संसाधनों के उपयोग नीति में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। यह प्रत्येक क्षेत्र की कृषि जलवायु विशेषताओं और कारक बंदोबस्ती के अनुरूप है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए यह पानी सहित प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान और सतत विकास की कुंजी है। वैचारिक और व्यवहारिक रूप से यही वास्तविक जल स्वराज है।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये, सदस्य का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये, जबकि पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये, सदस्य का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये, उप-प्रधान का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये तथा सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लगभग 43 वर्षो के उपरान्त शिमला योजना क्षेत्र के लिये विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की ग्राम पंचायत झुंगी को विकास खण्ड गोहर से अलग कर इसे विकास खण्ड निहरी में शामिल करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के जयनगर में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल सृजित कर यहां विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला शिमला के बलगार में लोक निर्माण विभाग का नया अनुभाग खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्र प्रायोजित उप मिशन के तहत कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य हेतु खरीदे गए ट्रैक्टरों के पंजीकरण के लिए कम से कम 5 कनाल कृषि योग्य भूमि होने की शर्त में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सोलन योजना क्षेत्र की विकास योजना में संशोधन प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के अन्तर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के अन्तर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मण्डी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग उपमंडल पधार के अन्तर्गत बल्ह रोपा (चौहार घाटी) में जल शक्ति विभाग का अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट का एक पद, स्टेट ऑफ द आर्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी में इंस्ट्रक्टर कोपा का एक पद व इंस्ट्रक्टर सूचना प्रौद्योगिकी का एक पद, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर में इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का एक पद सृजित कर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सुरला शैक्षणिक खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलावाला के गांव रिगड़वाला में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कसौड़ के बांदल में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चम्बा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में बीएससी पैरा मेडिकल टैक्नोलॉजी के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की वर्तमान 26 सीटों को बढ़ाकर 54 सीटें करने के लिए अनिर्वायता एवं व्यवहार्यता प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में सिरमौर जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में आवश्यक पदों के सृजन सहित जल शक्ति विभाग का नया मण्डल खोलने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने राजीव गांधी राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में पीजी विद्यार्थियों के सटाइपेंड में अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 8000 रुपये की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिला की रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ददाहु तहसील के गांव कंडोबेला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गो के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत तीन वर्षो के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नये कार्डो का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

नाबार्ड से सिरमौर जिले के लिए पांच सड़क परियोजनाएं मंजूर

शिमला/शैल। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश के लिए 21 सड़क एवं पुल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें सिरमौर जिला के लिए पांच सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुख राम चौधरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख नई सड़कों के निर्माण और एक सम्पर्क मार्ग के सुधारीकरण को नाबार्ड से स्वीकृति मिली है। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क के स्तरोन्नयन जबकि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से वन स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब निर्वाचन क्षेत्र में 1049.01 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 6.5 किलोमीटर लम्बे राजपुर-कुथियाणा सड़क मार्ग, 739.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बाता नदी के किनारे सन्तोषगढ़ पुल से फतेहपुर गांव तक 5.6 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग और 319.01 लाख रुपये की अनुमानित लागत से गोरखुवाला पंचायत घर से दुधला व खरोंला तक 1.83 किलोमीटर लम्बी सड़क को स्वीकृति प्राप्त हुई है।

सुख राम चौधरी ने कहा कि पांवटा साहिब निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-07 पर अमरगढ़-जोहड़ों-क्यारदा-जगतपुर-आईपीएच कॉलोनी माजरा तक कुल 8.04 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग के स्तरोन्नयन एवं सुधार कार्य के लिए भी मंजूरी मिल गई है। इस कार्य पर 1023 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी।

उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और इन पर कार्य आरम्भ करने के लिए शीघ्र ही टैंडर प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिरमौर जिले के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत मधाना गांव से फांदीबोडीवाला वाया जंगलोट सम्पर्क सड़क मार्ग के निर्माण के लिए भी वन स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य काफी समय से लम्बित है और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर केन्द्र सरकार से वन स्वीकृति का मामला उठाया था, जिसके कारण यह मंजूरी प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से क्षेत्र की 30 पंचायतों के 50 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली, अम्बाला, करनाल और जयपुर के लिए रेणुका जी, हरिपुरधार व राजगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर कम सफर तय करना पड़ेगा। साथ ही प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इस मार्ग से विभिन्न धार्मिक स्थलों की दूरी कम होगी। इसके अलावा, निर्माणाधीन रेणुका बांध परियोजना के लिए भी यह मार्ग सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा कर इस पर कार्य आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से लोगों की लम्बे समय से लम्बित पड़ी मांग पूरी होगी।

प्रदेश के लिए लघु और दीर्घावधि की राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना पर पहली हितधारक कार्यशाला का आयोजन

शिमला/शैल। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मॉडल (एसोचैम) द्वारा ऊर्जा विभाग के सहयोग तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश के लिए लघु और दीर्घावधि (2030 तक) के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके अन्तर्गत पहली हितधारक कार्यशाला का आयोजन ऊर्जा विभाग, शिमला में किया गया।

निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा ने कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए कहा कि कार्य योजना में उन क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए, जिनमें सभी हितधारक विभाग काम कर रहे हैं और ऊर्जा दक्षता को लागू करने के लिए पहल कर रहे हैं। इस कार्यशाला में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 के सफल कार्यान्वयन, हिमाचल प्रदेश विद्युत वाहन नीति, पीएटी योजना के सफल कार्यान्वयन, ईसीबीसी के कार्यान्वयन, सरकारी भवनों के एनर्जी ऑडिट, हाइड्रोजन ईंधन उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि ऊर्जा दक्षता के लिए राज्य में नीतियों और उनके प्रभाव को सूचीबद्ध कर कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। इनके प्रभाव का भी विश्लेषण कर राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी।

भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यशाला में भाग लिया।

परियोजना समन्वयक आशीष कुदल और विपुल शारदानन्दन ने एसोचैम की ओर से सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रदेश के लिए राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता खेम सिंह ठाकुर, अधीक्षण अभियंता मनोज चौधरी, एसोचैम के जोनल लीडर बलकार सिंह ने हितधारक विभागों को कार्य योजना में सहयोग प्रदान करने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यशाला में विभिन्न हितधारक विभागों के 30 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। एसोचैम ने कार्य योजना में शामिल किए जाने वाले हितधारकों के इनपुट और सुझावों के लिए स्थापना रिपोर्ट और सर्वे प्रस्तुत किया।

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति–2019 में संशोधन किया

शिमला/शैल। उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति – 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योगों को रियायतें और सुविधाएं देने के लिए 16 अगस्त, 2019 को हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति – 2019 अधिसूचित की थी। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की लागत पर 50 प्रतिशत की दर से उपदान, 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन, प्लांट और मशीनरी के परिवहन के लिए 50 प्रतिशत सहायता, 3.5 प्रतिशत परिवहन उपदान, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए 50 प्रतिशत सहायता, एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत सहायता, एमएसएमई, बड़े और एंकर उद्यमों के लिए कुल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए 50 – 90 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न उद्योगपतियों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उठाई गई मांग के आधार पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश औद्योगिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके अन्तर्गत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम पूंजीगत निवेश से स्थापित एंकर उद्योगों को प्रथम औद्योगिक उद्यम अथवा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर एक जिला के विशिष्ट विकास खण्ड के अन्तर्गत प्रथम औद्योगिक उद्यम के रूप में पुनर्भाषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपये के निर्धारित पूंजीगत निवेश तथा कम से कम 200 बोनाफाईड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी – ए, 150 करोड़ रुपये के निर्धारित पूंजीगत निवेश तथा कम से कम 150 बोनाफाईड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी – बी तथा 100 करोड़ रुपये के निर्धारित पूंजीगत निवेश तथा कम से कम 100 बोनाफाईड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी – सी में वर्गीकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट की परिभाषा में कॉस्ट अकाउंटेंट को भी शामिल किया गया है। नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समाप्त हो रही अवधि को 31 दिसंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाया गया है। एसजीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र उद्यम जो राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा शुद्ध एसजीएसटी के लंबित मूल्यांकन के कारण दावा नहीं कर सके है, वे 31 दिसंबर, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि/प्लॉट/शेडों का 5 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा और नए उद्यम जो कुल कार्यबल में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 5 प्रतिशत रोजगार प्रदान करते हैं, ऐसे उद्यम प्रतिमाह 1000 रुपये प्रति कर्मचारी अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए 3 साल की अवधि के लिए पात्र होंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि नए विकास खंड श्री नैना देवी जी, बाली चौकी, धनोटू, निहरी, चुराग, टूटू, कुपवी, कोटखाई, तिलोरधार को राज्य की श्रेणी – बी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य आधारभूत संरचना, अस्पताल, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, सार्वभौमिक डिजाइन का वितरण, दिव्यांग व्यक्तियों के सामान्य उपयोग के लिए उपभोक्ता उत्पाद और सहायक उपकरण भी सेवा गतिविधियों की निर्दिष्ट श्रेणी की सूची में शामिल हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कुल्लू जिले के किसानों से किया वर्चुअल संवाद

शिमला/शैल। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी विशेष अभियान के अंतर्गत प्रथम मई 2022 तक फसल बीमा पाठशाला अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय महा आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से संपर्क कर पूरे देश के किसानों को संबोधित किया तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व नवीनीकरण मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्रदान की।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने नरेन्द्र तोमर ने कुल्लू जिले के किसानों से वर्चुअल संवाद किया तथा फसल बीमा के अंतर्गत चलाई जा रही दोनों योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की। कुल्लू जिले के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ के बारे में अपने अनुभव साझा किये।

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुल्लू, ऊना तथा चंबा जिला के किसानों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया तथा किसानों को योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। किसानों ने कृषि मंत्री के साथ फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत अभी तक प्राप्त लाभ के बारे में अपने अनुभव साझा किये।

इस अभियान के अंतर्गत सभी कार्यान्वित बीमा कंपनी द्वारा खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर 'फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है तथा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा नवीनीकरण मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न प्रावधानों, इसके महत्व तथा इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न औपचरिकिताओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।

अभियान में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य नोडल विभाग जैसे कृषि, उद्यान, सहकारिता, आत्मा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यक्रम लागू करवाने वाली बीमा कंपनियां, सामान्य सेवा केन्द्र ग्रामीण वित्ता संस्थान इसमें भाग ले रहे हैं।

इस विशेष आयोजन में बीमा कम्पनियों ने योजनाओं की विशेषता, इसके अंतर्गत किसानों के हित में विशेष प्रावधानों बारे तथा बीमा करवाने के लिये विभिन्न आवश्यक औपचारिकिताओं बारे जानकारी प्रदान की।

कृषि सचिव राकेश कंवर, निदेशक नरेंद्र कुमार धीमान तथा अन्य अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के किसानो से जुड़े तथा इस विशेष अभियान 'फसल बीमा पाठशाला' में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित कर किसान हितकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाने का आहवान किया।

कैच द रेन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में बनाए जा रहे 75 अमृत सरोवरः राम सुभग सिंह

शिमला/शैल। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि 'कैच द रेन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर 75 – 75 अमृत सरोवर बनाये जा रहे हैं, ताकि प्राकृतिक जल स्त्रोतों को रिचार्ज कर भू – जल के स्तर को सुदृढ़ किया जा सके।

मुख्य सचिव प्रदेश में उत्पन्न सूखे की स्थिति व राज्य में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

उन्होंने कहा कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के दृष्टिगत इसे आजादी का अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा गया है। जिलों में बनाये जाने वाले इन अमृत सरोवरों पर 15 अगस्त को क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठजन अथवा किसी शहीद के परिजन द्वारा तिरंगा फहराया जायेगा। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिये कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों में अमृत सरोवरों के नए स्ट्रक्चर बनाये जायें और वहां तिरंगा फहराने की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को प्राकृतिक जल स्त्रोतों, बावड़ियों आदि का जीर्णोद्धार व साफ – सफाई और जिओ टेगिंग प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए ताकि प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण किया जा सके।

मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकतानुसार हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल की समस्या के समाधान के लिए पेयजल योजनाओं को इंटरलिंक करने, पेयजल योजनाओं के स्त्रोतों को रिचार्ज करने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठाने और हैंडपंप इत्यादि के माध्यम से उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कहीं पर पशुओं के चारे की समस्या

सामने आती है, तो उसके लिए भी तूड़ी इत्यादि की व्यवस्था करने के संबंध में योजना तैयार की जाए ताकि आवश्यकता होने पर चारे की शीघ्र व्यवस्था की जा सके। मुख्य सचिव ने सूखे से फसलों को हुए नुकसान की भी समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समयबद्ध बीमा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 02 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी है और इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत 10 मई, 2022 तक महिलाओं का पंजीकरण किया जायेगा।

राम सुभग सिंह ने राज्य में बनाये जाने वाले आंगनवाड़ी भवनों व पोषण के सम्बन्ध में भी सभी जिला उपायुक्तों को दिशा – निर्देश जारी किये। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अगले तीन माह में राज्य में 600 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना है। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिये कि इन भवनों के निर्माण के लिए आगामी एक सप्ताह में निर्माण स्थल को लेवल कर भवन निर्माण के लिए तैयार किया जाये ताकि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

बैठक में प्रधान सचिव (वन) रजनीश, सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, सचिव कृषि राकेश कंवर, पीसीसीएफ वन अजय श्रीवास्तव, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सभी उपायुक्त शामिल हुए।

अप्रैल माह में अब तक का सबसे अधिक 497 करोड़ रुपये वस्तु एवं सेवा कर संग्रह

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने अप्रैल, 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अन्तर्गत 497 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है, जो एक माह में अब तक का सर्वाधिक है जीएसटी संग्रह 426 करोड़ रुपये से बढ़कर 497 करोड़ रुपये हो गया है, और इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 – 22 में विभाग ने कुल 4390 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रहण किया जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग 248 करोड़ रुपये अधिक है।

प्रवक्ता ने कहा कि विभाग ने जीएसटी संग्रह में सुधार के लिए क्षमता और राजस्व वृद्धि के लिए एक परियोजना की परिकल्पना की है। इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से विभाग के आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कर अधिकारियों के सतत क्षमता निर्माण के लिए जीएसटी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। विभागीय पुनर्गठन के कार्यान्वयन को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर अधिकारियों के सहयोग से आने वाले वित्तीय वर्ष में जीएसटी राजस्व संग्रह में और वृद्धि की उम्मीद है।

प्रवक्ता ने बताया कि विभाग रिटर्न फाइलिंग में सुधार और तेजी से जांच, जीएसटी ऑडिट समय पर पूरा करना और विभाग के निरंतर सुदृढ़ीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान दे रहा है। विभाग ने गत वर्ष रोड चैकिंग अभियान के अन्तर्गत लगभग 2.5 लाख ईवे बिल सत्यापन के विपरीत इसमें और वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। विभाग टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत हितधारकों के मुद्दों के समयबद्ध निवारण के साथ स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध है।

आईएएस ऑफिसर्ज एसोसिएशन ने पूर्व मुख्य सचिव के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। आईएएस ऑफिसर्ज एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है।

एसोसिएशन के महासचिव राकेश कंवर ने कहा कि पी. मित्रा वर्ष 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे और उन्होंने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान कीं। वे राज्य के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत होने के पश्चात राज्य चुनाव आयुक्त भी रहे।

आईएएस ऑफिसर्ज एसोसिएशन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

प्रतिभा सिंह की नियुक्ति और मुकेश तथा सुक्खू को को मिली जिम्मेदारियों से कांग्रेस में जोश का संचार

- कांग्रेस में हुए बदलाव ने बढ़ाई सरकार और भाजपा की चिंताएं भाजपा की प्रतिक्रियाओं से हुआ स्पष्ट
- कुलदीप राठौर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना संतुलन साधने का परिचय
- अब मुद्दों पर सरकार और भाजपा को घेरना होगी प्रतिभा की परीक्षा

शिमला/शैल। प्रतिभा सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर हाईकमान ने अध्यक्षता को लेकर उठते सवालों पर विराम लगा दिया है। यह विराम लगाने के साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप राठौर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर न केवल उनके मान-सम्मान को ही बहाल रखा बल्कि उन्हें बड़ी भूमिका देकर उनके अनुभव को भी अधिमान दिया है। दोनों नेता अपनी जिम्मेदारियों पर कितने सफल रहते हैं यह आने वाला समय ही बतायेगा। प्रतिभा सिंह के साथ ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को फिर से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिये उन पर पूर्ण विश्वास बहाल करके एक बड़ा संकेत भी दे दिया है। पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर पूरे चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी देकर उनके अनुभव को भी पूरा अधिमान दिया गया है। इन्हीं के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भविष्य के नेतृत्व के प्रति भी हाईकमान ने सजगता और सतर्कता दोनों का परिचय दे दिया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हाईकमान ने हर नेता के मान सम्मान को पूरी तरह बहाल रखा है।

प्रदेश कांग्रेस में हुये इस बदलाव पर जिस तरह की प्रतिक्रिया है सत्तारूढ़ भाजपा से आई हैं उन्हीं से प्रमाणित हो जाता है कि सरकार और संगठन दोनों में एक डर अभी से बैठ गया है। क्योंकि इसी कांग्रेस ने पिछले चारों उपचुनाव में ने इसी भाजपा और सरकार को हराया है। उस समय इसी भाजपा ने इस हार को स्व. वीरभद्र सिंह के पक्ष में उभरी श्रद्धांजलि की लहर करार देकर अपनी हाईकमान को एक जवाब दे दिया था। लेकिन यह भूल गयी थी कि इसी जनभावना को भुनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान को इसी विरासत को भुनाने के लिये एक बार फिर इसी परिवार पर विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा। यह इसी विरासत का परिणाम रहा है कि प्रदेश के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में इस बदलाव का स्वागत किया गया है। ऐसा शायद किसी दूसरे नेता को यह भूमिका देने से अभी न होता। कांग्रेस में हुआ यह बदलाव इसलिये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी पांच राज्यों में हुये चुनावों में कांग्रेस को पांचो की हार का सामना करना पड़ा है। इस हार ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिये और प्रशांत किशोर की सेवायें लेने के मुकाम तक पहुंचा दिया। इन चुनावों में मिली हार ने प्रदेश के चार उप चुनावों की जीत को भी ढक लिया था। इसलिये कांग्रेस को यह भी हर समय याद रखना होगा।

इसी परिदृश्य में यह भी स्मरण रखना होगा कि हिमाचल का चुनाव जीतना हारना कांग्रेस और भाजपा दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभावित करेगा। इसलिए भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा को भी प्रदेश की फील्ड में उतार दिया है। जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस भाजपा की बी टीम कह चुकी है उसी आप ने सबसे ज्यादा नुकसान अब तक कांग्रेस को ही पहुंचाया है। क्योंकि भाजपा ने तो आप के संयोजक को ही तोड़कर भाजपा में मिलाकर एक बराबर का जवाब दे दिया है। उसी तर्ज में क्या कांग्रेस भी अपने गये हुये लोगों को वापिस ला पाती है और नये पलायन को रोक पाती है। यह एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि कांग्रेस को प्रदेश में भाजपा और उसकी सरकार के साथ-साथ आप से भी लड़ना होगा। यह लड़ाई कांग्रेस किस तरह से लड़ती है यह देखना रोचक होगा। क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश में जिस तरह स्वर्ण समाज ने स्वर्ण आयोग का मुद्दा उठाकर विधानसभा के घेराव तक पहुंचा दिया और उसमें गिरफ्तारियां तक भी हुई। वही मुद्दा आज सिरमौर में स्वर्ण समाज द्वारा दलित नेताओं के हिंसक विरोध तक पहुंच गया है। दलित समाज सरकार और प्रशासन की भूमिका को लेकर पूरे रोष में है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। क्योंकि पहले जो स्टैंड कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लिया है वह संविधान के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याओं के अनुसार नहीं है। दलित समाज का यह आक्रोश कांग्रेस के बदलाव के साथ ही क्यों मुखर हुआ है? इसे समझना भी आवश्यक होगा क्योंकि दलित समाज प्रदेश में करीब 28% तक पहुंच चुका है।

इसी के साथ कांग्रेस की इस नयी टीम को वह सन्तुलन ही बनाये रखना होगा जो एक समय वीरभद्र बनी थी। चंबा में वरिष्ठ नेता आशा कुमारी और हर्ष महाजन के बीच राजनीतिक रिश्ते अभी भी सुखद नहीं है यह भी सब जानते हैं। मंडी के लोकसभा उपचुनाव की जीत के बाद ही प्रतिभा सिंह और आशय शर्मा के बीच चुनावी जंग छिड़ गयी थी। आशय के पिता अनिल शर्मा के आप में शामिल होने की चर्चायें बाहर तक आ गयी थी। शिमला में ही कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर टकराव की संभावनाएं बराबर बनी हुयी है। इस परिपेक्ष में पार्टी को क्रियात्मक रूप से एकजुट करना प्रतिभा सिंह के लिये बड़ी चुनौती होगा। इस चुनौती के लिये जब तक सरकार के खिलाफ केंद्र से शिमला तक गंभीर मुद्दे उठाकर नहीं घेरा जाता तब तक कांग्रेस के लिये स्थितियां बहुत आसान नहीं होंगी। क्योंकि जिन-जिन नेताओं को प्रदेश स्तर पर हाईकमान ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं वह लोग अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों, अपने चुनावों में व्यस्त हो जायेंगे। प्रदेश में हर बार सत्ता परिवर्तन का आधार भ्रष्टाचार के ही आरोप रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस विपक्ष में रहकर सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा मुद्दा अब तक खड़ा नहीं कर पायी है यह भी एक व्यवहारिक सच है। ऐसे में यह देखना जहां दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कौन से मुद्दे उठाती है और यह जिम्मेदारी निभाने के लिये कैसी टीम फील्ड में उतारती है।

जयराम सरकार के 5

.....पृष्ठ 1 का शेष

दर्ज करता है या नहीं। या फिर किसी को धारा 156(3) के तहत अदालत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

अभी प्रदेश विधानसभा के लिये इसी वर्ष चुनाव होने हैं। सरकार की कारगुजारी का आकलन जनता इन चुनावों में करेगी। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह सब कुछ मुख्यमंत्री के अपने विभागों में हो रहा है। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शीर्ष प्रशासन मुख्यमंत्री को नियमों की जानकारी न होने का लाभ उठा रहे हैं या यह सब मुख्यमंत्री की सहमति से हो रहा है।

ब्रिगेड के गठन के बाद ब्रिगेड के अध्यक्ष और सुखविंदर सिहं सुक्खु के बीच मानहानि का मामला दायर होने तक पहुंच गया था। यह दुसरी बात है कि इस ब्रिगेड को भंग कर दिया गया था और इसके कुछ नेताओं को मुख्य संगठन में जिम्मेदारियां भी दी गयी थी। लेकिन आगे चलकर यही पृष्ठभूमि सुक्खु को हटाने का मुख्य आधार

प्रदेश में बढ़ी बेरोजगारी

..पृष्ठ 1 का शेष

चुनावी संध्या पर तो सरकार की सफलताओं के बयानों के स्थान पर उपलब्धियों के श्वेत पत्र जारी होने चाहिये थे। सरकार की प्राथमिकताएं क्या रही हैं और आवश्यक सेवाओं के प्रति कितनी गंभीरता रही है इसका अंदाजा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को आशा कुमारी द्वारा पूछे प्रश्न के आये जवाब से पता चल जाता है। प्रश्न था कि सरकार ने 3 वर्षों में जेबीटी अध्यापकों के कितने पद बैच वॉइज और कितने एच पी एस एस वी के माध्यम से भरे हैं तथा कितने खाली हैं। इसके जवाब में बताया गया कि केवल बैच वाइज 762 पद भरे गये हैं। बोर्ड के माध्यम से कोई भर्ती नहीं हुई है और 3301 पद खाली हैं। इससे शिक्षा जैसे अहम विषय पर सरकार की संवेदनशीलता का पता चल जाता है। इसी तरह इंद्र दत्त लखन पाल और पवन काजल ने पूछा था कि 3 वर्षों में पशु चिकित्सकों के कितने पद भरे गये और कितने खाली हैं। इसके जवाब में बताया गया कि 3 वर्षों में केवल 27 पद भरे गये और 107 पद खाली चल रहे हैं। सरकार के सभी विभागों में लगभग यही स्थिति है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बयानों और प्रैस विज्ञप्तियों के माध्यम से जनता को जो कुछ परोसा जाता है उस पर कितना विश्वास किया जाना चाहिये। मार्च 2014 में जो सीमेंट प्लांट एकल खिड़की योजना में स्वीकृत हुये थे उनका अंत क्या हुआ है वह पाठकों के सामने हम पहले ही रख चुके हैं। उसमें एक शिकायत तक भी आ चुकी है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री अभी तक खामोश हैं। मुख्यमंत्री की यह चुप्पी सवालों के घेरे में है।